पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 249/2025

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
3. रूपचन्द पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
4. निकोदेवी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
5. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सरजीत बिजारणियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगरसिंहपुरा के खाता संख्या 87/84 के खसरा संख्या 141/2 की 3.797 है0 वारानी में लालराम पुत्र लिखमाराम तथा रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता संख्या 135/132 के खसरा संख्या 265/1 की 3.089 है0 बारानी में लालाराम पुत्र लिखमाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में लालराम व लालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी भूपसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 महावीर व प्रतिवादी संख्या 3 रूपचन्द को को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2026.05.12 18:24:04 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)